IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 22, Issue 3, Ver. VII (March. 2017) PP 82-83
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका एवं महिला प्रतिनिधियों के समस्याएं

डॉ. अल्माज़ जहान
राजनीति विज्ञान विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज बुलंदशहर

सारांश: *पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका के सम्बन्ध में तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। सबसे पहले शिक्षा और प्रशिक्षण है। शिक्षा का अभाव उनके आत्मविकास और आत्म सम्मान में सबसे बड़ी बाधा रही है। यद्यपि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पिछले पाँच दशकों में महिला साक्षरता कई गुना बढ़ी है फिर भी अभी उनमें शिक्षा का स्तर निम्न है। देश की सम्पूर्ण महिलाओं का 74 प्रतिशत भाग गांवों में बसता है लेकिन लगभग 18 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं ही शिक्षित है। इसके अनेक कारण रहे हैं यथा महिला शिक्षा के प्रति जन जागरण की कमी, बालिकाओं पर घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी होने के कारण स्कूल में नामांकन का अभाव अल्पायु में विवाह आदि।*

परिचय

पंचायती राज सत्ता का विकेन्द्रीकरण की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आम आदमी के द्वारा अपने ग्राम स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में भाग लेना है। राजधानी दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था के 15 वर्षों की उपलब्धियों तथा स्थानीय लोकतन्त्र को अधिक सशक्त बनाने के मुदों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा – "पंचायती राज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि इसने महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण किया है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि आज देश भर में चुने हुए 26 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में लगभग 9 लाख 75 हजार प्रतिनिधि महिलाएं हैं। इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि नवनिर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों की सख्या, विश्व के कल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सख्या से भी अधिक हैं। प्राचीन काल से भारत में गाँव पंचायत व्यवस्था कार्य करती रही हैं। इस परम्परागत गाँव पंचायत के मुखिया व सरपंच का चुनाव सदस्यों की आम सहमति से होते थे। सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाने की परम्परा थी। यही कारण था कि उन दिनों गाँव पंचायतों के पीछे नैतिक शक्तियाँ काम करती थीं। ये पंचायते पूर्णतया स्वतन्त्र संस्थाएं होती थीं। पंचायती परम्परा की पृष्ठभूमि में स्वतंत्र भारत में नये पंचायती राज का गठन किया गया। गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए स्वतंत्र भारत में 1950 ई में लागू नवीन संविधान में पंचायतों को स्थान दिया गया। महात्मा गांधी ने देश की स्वतन्त्रता से पहले पंचायत राज व्यवस्था की परिकल्पना की थी।

भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, अप्रेल 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया। जिसमें देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सन्तुलन आये। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खण्ड (9) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोडे गए। अनुच्छेद 243 (5) (3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243 (द) (4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (घ) में यह उपबन्ध है कि सभी स्तर की पंचायत में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य विधि द्वारा ग्राम और अन्य स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण कर सकेगा तथा राज्य किसी भी स्तर की पंचायत में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों या पदों का आरक्षण कर सकेगा। वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेष, उत्तराखण्ड, राजस्थान और केरल ने पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 50% कर दिया है।

अतः पंचायतों का प्रमुख और प्रथम दायित्व शिक्षा और प्रशिक्षण का है। महिलाओं को उनके अधिकारों तथा दायित्वों का समुचित ज्ञान दिलाया जाय ताकि वे इन अवसरों का समुचित लाभ उठा सके। ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं के लिए स्थानीय प्रशिक्षण शिविर लगाकर उन्हें विकास के विविध पहलुओं से परिचित कराया जाए तथा उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जाए ताकि वे पुरुषों के साथ कदम मिलाकर चल पाएं तथा राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकें।

अनुसूचित जाति/ जनजाति और महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा से ही उन्हें योग्यता, सामर्थ्य और साहस मिल सकेगा वे यह जान सकेगी कि कैसे जिम्मेदार पदों पर रहकर नीति का निर्धारण एवं कियान्वयन किया जा सकता है। पंचायतों द्वारा महिला अधिकारियों के प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था में भी दक्ष हो सकें। शिक्षा व्यक्ति को उचित कार्य उचित स्थान पर उचित तरीके से करना सिखाती है। आर्थिक स्वतंत्रता

महिलाओं की दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता आर्थिक स्वतंत्रता है। वर्तमान में ग्रामीण परिवारों में सबसे अधिक श्रम महिलाओं को ही करना पड़ता है परंतु उनका श्रम पूर्णतः अवैतनिक होता है, सुबह से देर रात तक घर और खेती के कार्यों में जूझती महिला के श्रम का अधिकांश फल पुरुष वर्गही भोगता है। पति पर आश्रित रहने की प्रथा ने महिलाओं की आत्म चेतना को आच्छादित कर रखा है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन हो ताकि उनके श्रम का सही प्रतिफल उन्हें मिल सके।

महिला प्रतिनिधियों के समस्याएं :

लगभग आधे पुरुषों तथा एक चौथाई महिलाओं एवं कर्मचारियों का मानना था कि पंचायत गतिविधियों में समय देने के कारण घरेलू कार्य की उपेक्षा हो रही है। कुछ लोगो का मानना था कि बहुत से गरीब परिवारों में महिलाएं भी आर्थिक गतिविधियों में हाथ बंटाती हैं, अब आरक्षण द्वारा उनके पंचायतों में चुने जाने से ऐसे परिवारों के आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है।

1. **जागरूकता की कमी :** गांव का विकास संभव है, जब पंचायत के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को विकास संबंधी उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी हो।
2. **अशिक्षित या अल्पशिक्षित:** ग्रामीण महिलाओं का गरीबी रेखा से नीचे रहना भी समस्या है। मध्य प्रदेश में एक सर्वे के अनुसार पंचायतों में चुनकर आयी 57 प्रतिशत महिला गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से है।
3. **जातिगत भेदभाव:** दलित वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की गांव में कोई सुनना नहीं चाहता। गाँव में उच्च वर्ग के लोगों का ही प्रभाव रहता है। सरकारी अधिकारी भी उनके यहाँ न आकर उच्च वर्गों के यहॉ जाते हैं। दलित महिलाओं को संवैधानिक कार्य नहीं करने दिये जाते। उन्हें धमकियां दी जाती हैं।
4. **भ्रष्टाचार:** पहले से व्यापक रूप से फेले भ्रष्टाचार के कारण भी महिलाएं कार्य करने में असमर्थ है। उनका कहना है कि कोई भी फाइल बिना हिस्सा दिये आगे नहीं बढ़ती जिससे ग्राम विकास में अड़चन आती है।
5. **चरित्र हनन :** गांव की रूढ़िवादी नीतियों के कारण भी प्रतिनिधि कार्य करने में असमर्थ है। महिलाएं घर से बाहर निकल कर ग्रामीण विकास का कार्य करती है तो समाज उनकी चरित्र पर उंगली उठाकर उन्हें हतोत्साहित करता है।
6. **अविश्वास प्रस्ताव :** पंचायत का पुरुष वर्ग तथा गांव का पुरुष वर्ग यह नहीं चाहता कि महिला प्रधान हो। अतः बिना किसी कारण के अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटा देना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में फंसाया जाता है।
7. **अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता :** अधिकारप्राप्ति के पश्चात भी महिलाएं उन्हें उपयोग करना नहीं जानती क्योंकि पंचायतीराज कार्य प्रणाली से वे अनजान होती है।
8. **सामंतों का वर्चस्व :** 73वें संशोधन के बाद उनके यहाँ की पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हो गया। तब उन्होंने इस वर्ग की एक महिला को चुना और उसको चुनाव में जिताया। चुनाव जीतने के बाद वह महिला उनके सामने सर झुकाए खड़ी रहती है। उनके सामने सरपंच की कुर्सी पर भी नहीं बैठती। वह नीचे बैठती है। हालांकि यह महिला शिक्षित है और हस्ताक्षर करना जानती हैं पर उसे जैसाकहा जाता है वैसाही करती है।

भारत में महिलाओं की विशाल संख्या अधीनता तथा उपेक्षित वर्ग का जीवन बिता रही है और इसी कारण समाज में विषमता बढ़ रही है। हांलाकि महिलाएं अब बड़ी संख्या में आर्थिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों तथा परिवर्तन की प्रक्रिया में भाग ले रही हैं, पर वास्तव में न तो वे इससे लाभान्वित हो रही हैं और न ही वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस बदलाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। स्थानीय शासन की इकाईयों में ऐसा बहुत ही कम होता है कि ग्रामीण महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपने बलबूते पर ही निर्वाचित हों। जबकि अधिकाशतः यह देखा जाता है कि जो महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होती हैं उसमें उसके पुरुष परिवारजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आरक्षण के कारण सैद्धान्तिक रुप से शक्ति महिलाओं के हाथों में आ गई है। परन्तु यह भी कि आज पुरुष ही सत्ता पर वास्तविक नियन्त्रण रखे हुए है। अज्ञानता एवं अनुभवहीनता, पुरुषों पर निर्भरता महिलाओं के लिए आरक्षण को अर्थहीन बना देती है। अतः यह आवश्यक है कि महिलाओं में जागरुकता लाई जाये। उनको राजनीतिक जानकारी से अवगत करवाया जाए। जहां तक सम्भव हो उन्हे नई भूमिका को निभाने के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाए। पंचायतों में कार्यरत महिलाओं को समय-समय पर नए कार्यक्रमों की जानकारी दी जाये तथा वर्तमान में चालू कार्यक्रमों में उन्हें कितने संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे है इसकी जानकारी भी दी जाए तभी वे ग्राम के लिए प्रभावशाली योजनाएं बना सकेंगी व विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली उनकी भूमिका पर समय-समय पर मीडिया, पत्र-पत्रिकाओं द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाए व रेडियो, व टी.वी. प्रसारणों में वार्ताओं व विशेष रुप से ग्राम पंचायतों को ध्यान में रखकर सूचनाओं का प्रसारण किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष एवं सुझाव:

73वें संविधान संशोधन से पंचायतों में महिलाओं की भूमिका व उनका प्रतिनिधित्व और अधिक मजबूत हुआ है लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या महिला सशक्तिकरण पंचायतों में महिलाओं के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व तक ही सीमित है ? क्या महिलाओं का पंचायती राज से वास्तव में सशक्तिकरण हुआ है और यदि हाँ, तो किस सीमा तक व किन अर्थों में ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं। जिन पर महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मूल्यांकन करना आवश्यक है। वास्तव में पंचायतें महिलाओं के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व तक सीमित न होकर, उनके अधिकारों के उपभोग करने तक विस्तृत हैं। निःसन्देह पंचायती राज ने महिला सशक्तिकरण में वृद्धि की है लेकिन इसकी मात्रा क्षेत्र व परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न रही है। जिन पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि स्वयं निर्णय प्रक्रिया में सक्रियता से भागीदारी करती है और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को बाह्य अभिकरणों से सक्रियता से करवा पाती है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण हुआ है और दूसरी ओर यदि महिला प्रतिनिधि अपने घर से स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आ पाती और उनके पति अथवा अन्य पुरूष अभिभावक ही उनके अधिकारों को उपयोग करते हैं तो कहा जा सकता है कि अमुक महिला प्रतिनिधि का सशक्तिकरण नहीं हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं में अभी भी ये दोनों स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। यह अत्यधिक विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि महिलाएँ वर्षों से यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं। महिलाएं पुरूषों की अपेक्षा अधिक सक्रियता और भागीदारी करती हैं और साल दर साल इसमें वृद्धि होती जा रही है। परन्तु निम्नलिखित बिन्दुओं के कारण पंचायती राज निर्वाचन प्रभावहीन लगने लगते हैं

1. पूर्व में कोई भी राजनीतिक दल पंचायती राज निर्वाचन में हस्तक्षेप नहीं करते थे, परन्तु अब स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत हो गई है। विधायक, सांसद तथा अन्य मंत्री स्वतंत्र रूप से अपने प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं।
2. कई बार सत्ता की लालसा के कारण योग्य महिलाएँ आपस में प्रतिद्वन्द्वी हो जाती हैं और अयोग्य महिलाएँ निर्वाचित हो जाती हैं।
3. कई बार प्रतिद्वन्द्वी प्रत्याशियों को धन का लोभ देकर उन्हें चुनाव से नाम वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता हैं। यह वास्तव में महिला सशक्तिकरण को क्षति पहुँचाने का कार्य है।
4. चुनावी प्रक्रिया में नामांकन से लेकर चुनावी परिणाम तक की समस्त व्यूह रचना रणनीति में अधिकांशतः महिला प्रतिनिधियों के परिवार के पुरूष सदस्य का व्यापक हस्तक्षेप देखा जाता है। यह स्थिति महिलाओं की योग्यता तथा स्वतंत्र पहचान पर एक विस्तृत प्रश्न चिन्ह है।

राज्य में 50 प्रतिशत आरक्षण के फलस्वरूप पंचायती राज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि अवश्य हुई है। पंचायती राज निर्वाचन 2008-09 तथा 2014 से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं ने इसमें बहुत ही सफलता अर्जित की है। समझना आवश्यक है कि आरक्षण के माध्यम से भले ही पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की जाये, परन्तु जब तक निर्वाचित महिलाओं को बिना हस्तक्षेप किये स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं करने दिया जायेगा तब तक न ही महिलाएं सशक्त होंगी और ना ही पंचायती राज के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। बेहतर होगा कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं की साक्षरता दर को शत्-प्रतिशत करने हेतु ठोस कदम उठाये जाएँ। आज पंचायतों की भूमिका पूर्व की भाँति नहीं है। इनके कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ वित्तीय जवाबदेहिता में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में यदि महिला प्रतिनिधि शिक्षित नहीं होंगी तो वह अपने उत्तरदायित्वों का उचित ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएँगी। महिलाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण से अगली पीढ़ी की महिलाएँ अधिक शिक्षित व जागरूक होंगी तथा पंचायतों में अधिक उचित ढंग से सहभाग कर पायेंगी। यह भी कबूलना होगा कि महिलाएँ आज भी प्राचीन मान्यताओं से जकडी हुई हैं और इन्हें तोड़ने के लिए अन्ततः उन्हें ही आगे आना होगा और यह तभी संम्भव है जब वे शिक्षित तथा जागरूक होंगी। अतः यह कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे ही सही पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

[1]. सिंह रणबीर एवं सिंह सूरत (सं0), लोकल डेमोक्रेसी एण्ड गुड गवर्नेन्स फाइब डिकेड्स ऑफ पंचायती राज,दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन प्रा०लि0, नई दिल्ली।।

[2]. सिंह जे0 एल0, विमन एण्ड पंचायती राज, सनराइज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2005

[3]. नवानी एवं रावत (सं0), उत्तराखण्ड ईयर बुक 2001, नवाँ संस्करण, बिनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून, 2001

[4]. मैन, नेचर एण्ड सोसायटी, वॉल्यूम 2001-02

[5]. जर्नल ऑफ आचार्य नरेन्द्र देव रिसर्च इन्स्टीट्यूट, वॉल्यूम 6-7, संयुक्तांक 2000-01

[6]. भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, वर्ष चतुर्थ, अंक प्रथम व द्वितीय, जनवरी-दिसम्बर, 2001

[7]. एच एस ढिल्लन, लीडरशिप एंड ग्रुप्स इन साउथ इंडिया विलेज, प्रोग्राम इवैल्यूएशन आर्गेनाईजेशन प्लानिंग कमीशन, नै दिल्ली १९९५

[8]. ऑस्कर लेविस, ग्रुप डायनामिक्स इन नार्थ इंडिया विलेज स्ट्रक्चर ऑफ़ स्टडी ऑफ़ फ्रैक्शन, प्लानिंग कमीशन नई दिल्ली, 195।

[9]. अवतार सिंह लीडर शिप पैटर्न एंड विलेज स्ट्रक्चर, स्टूलिंग पब्लिशर्स, नै दिल्ली १९६३